विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है तथा इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय 1 तथा 2 पंचायती राज संस्थाओं से और अध्याय 3 एवं 4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत किया गया है:

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

73वें संवैधानिक संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी निरंतरता में संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए थे, तथापि पंचायती राज संस्थाओं को निधियां एवं पदाधिकारी हस्तांतरित किए जाने शेष हैं।

राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 2014-15 के दौरान सात जिला परिषदों, 17 पंचायत समितियों तथा 76 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच से (क) स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका आदि पंजिकाओं को न बनाना, (ख) स्वयं के संसाधनों तथा सहायता अनुदान/ऋण के लेखे उचित ढंग से तैयार न करना, (ग) रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के मध्य मिलान न होना, (घ) प्रत्यक्ष सत्यापन न करना (ड़) बकाया अग्रिम राशियों व (च) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई निधियों का अवरोधन उजागर हुआ।

(अध्याय-1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

बावन ग्राम पंचायतों ने ₹ 18.93 लाख का गृह कर वसूल नहीं किया। अठारह पंचायती राज संस्थाएं दुकानों के किराया प्रभारों की ₹ 19.37 लाख की राशि वसूल करने में विफल रहीं। 32 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों के ₹ 6.98 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई। पंचायत समिति, गोपालपुर ने बजट आकलन तैयार/पारित करवाए बिना ₹ 2.15 करोड़ व्यय कर दिए। छः पंचायती राज संस्थाओं में कार्य प्रारम्भ न किए जाने के कारण ₹ 40.81 लाख की राशि की निधियां अव्ययित रहीं। जिला परिषद, चम्बा ने नियत अवधि में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹ 0.64 करोड़ का अवरोधन हुआ। लघु सिंचाई स्कीमों के निमित्त रखी गई ₹ 6.51 लाख की निधियां व्यक्तिगत बही खातों में अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

आठ ग्राम पंचायतों द्वारा एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यों पर उन्हीं श्रमिकों को तैनात किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, श्रम भुगतान जारी करने में हुए विलंब से प्रभावित हुई।

(अध्याय-2)

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

राज्य में एक नगर निगम, 30 नगर परिषदें तथा 21 नगर पंचायतें हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों तथा कर्मचारियों सहित संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण तथा शक्ति के विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित हैं, तथापि, शहरी स्थानीय निकायों को निधियां एवं कर्मचारी हस्तांतरित किये जाने शेष हैं। राज्य सरकार ने लेखाओं के सत्यापन हेतु अधिनियमों/नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया है। 2014-15 के दौरान संचालित की गई एक नगर निगम, छः नगर परिषदों तथा सात नगर पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच ने (क) लेखाओं के असत्यापन तथा (ख) बजट आकलनों को वास्तविक रूप से तैयार न करने को दर्शाया है।

(अध्याय-3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अप्रभावी अनुश्रवण के कारण 11 शहरी स्थानीय निकायों में गृह कर के ₹ 4.04 करोड़ का राजस्व बकाया पड़ा रहा। तेरह शहरी स्थानीय निकाय सम्बंधित आवंटितियों से ₹ 1.86 करोड़ की राशि का दुकानों का किराया वसूल करने में विफल रहे। सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों को वसूल करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 18.14 लाख के राजस्व की हानि हुई। नगर परिषद बद्दी नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले उपभोक्ताओं से ₹ 29.18 लाख का विद्युत कर वसूल करने में विफल रही। छः शहरी स्थानीय निकायों ने विकास कार्य आरम्भ न किए जाने के कारण ₹ 2.19 करोड़ की निधियां प्रयुक्त नहीं कीं। नगर परिषद डल्हौजी ने पार्किंग का निर्माण शुरू न करने के कारण ₹ 43.44 लाख की निधियों का उपयोग नहीं किया। नगर निगम शिमला ने परियोजना लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अंतर्गत बीमा के माध्यम से ठोस कूड़ा प्रबंधन परियोजना के ऑपरेटर पर ₹ 5 करोड़ की देयता निर्धारित नहीं की थी। नगर परिषद परवाणू द्वारा निदेशक, शहरी विकास, शिमला को निधियों की वास्तविक प्रयुक्ति किए बिना ₹ 3.27 करोड़ का गलत प्रयुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

(अध्याय- 4)